# प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **10-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

**1- दुष्कर्म करने के आरोपी को थाना कांठ पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

अवगत करना है कि दिनांक 29-04-2025 को वादिनी निवासी थाना कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज में एक मोटरसाईकल की मांग करना मांग पूरी न होने पर वादिनी को प्रताडित कर गाली गलौच करने तथा अभियुक्त दिलदार व अनस द्वारा वादिनी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0-121/2025 धारा-85,352,70(1) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 09-06-2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा अभियुक्त अनस पुत्र इब्राहिम निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना मन्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-** अनस पुत्र इब्राहिम निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना मन्डावर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-** उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र पंवार, का0 विशाल

**2- सट्टे की खाईबाड़ी करने के आरोपी को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 10-06-2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा अभियुक्त फईम पुत्र जहूर निवासी मौ0 जाटवान कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को 01 सट्टा पर्चा, एक डॉट पेन, नकद 600 रुपये के साथ सट्टा करते हुए गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-0226/2025 धारा 13 G एक्ट पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-** फईम पुत्र जहूर निवासी मौ0 जाटवान कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

**बरामदगीः-** 01 सट्टा पर्चा, 01 डॉट पेन, नकद 600 रुपये

**आपराधिक इतिहासः-**

| | |
|---|---|
| मु0अ0सं0-0364/2015 धारा 13 G अधि0 | मु0अ0सं0-00211/2021 धारा 13 G अधिनियम |
| मु0अ0सं0-0232/2018 धारा 13 G अधि0 | मु0अ0सं0-0462/2021 धारा 8/20 NDPS ACT |
| मु0अ0सं0-0558/2020 धारा 13 G अधि0 | मु0अ0सं0-0234/2023 धारा 13 G अधि0 |

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-** उ0नि0 विपिन कुमार, का0 प्रविन्द्र कुमार, का0 निशान्त कुमार

**3- गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को थाना भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि दिनांक 20-05-2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना भोजपुर ने अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओ की अवैध रूप से तस्करी कर गौवध कर अवैध रूप से आर्थिक,भौतिक व दुनियावी लाभ कमाने तथा अभियुक्तगण द्वारा इन कृत्यो से समाज के लोगो में रोष, भय व आतंक व्याप्त होने के संबंध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-197/2025 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 10-06-2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त हसनैन पुत्र जमील निवासी पुराना बुद्ध बाजार पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

हसनैन पुत्र जमील निवासी पुराना बुद्ध बाजार पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

**आपराधिक इतिहासः-**

1.मु0अ0सं0 63/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना भोजपुर
2.मु0अ0सं0 197/2025 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भोजपुर
3.मु0अ0सं0 316/2023 धारा 423 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोजपुर
4.मु0अ0सं0 379/2021 धारा 423 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोजपुर
5.मु0अ0सं0 488/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना भोजपुर

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-** निरीक्षक श्री अजय दुबे, म0उ0नि0 निशी चौधरी, का0 सतेन्द्र साहू

**4-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 15 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा **15 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**थाना मुगलपुरा-03, थाना कटघर-01, थाना सिविल लाईन्स-02, थाना मझोला-01, थाना छजलैट-02, थाना भोजपुर-03, थाना बिलारी-01, थाना मैनाठेर- 02**